Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **पुलिस थाना रामगंज आयुक्तालय जयपुर (उत्तर) में कानिस्टेबल 7500/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 25 मई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **सीताराम मीणा हाल कानिस्टेबल, न. 10716 पुलिस थाना रामगंज आयुक्तालय जयपुर** (उत्तर) को **7500/– रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी ने अपना एवं अपनी पत्नी एवं अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था जिसकी जांच कानिस्टेबल सीताराम मीणा के पास थी जिसका वेरिफिकेशन करने के लिए 30,000/– रूपये की मांग कर 9,000/– रूपये लेना तय हुआ जिनमे से 1500/– रूपये दिनांक 24.05.2026 को सत्यापन के दौरान प्राप्त कर लिये एवं शेष 7500/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकडा गया।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक–द्वितीय जयपुर श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार गुप्ता** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री रामजीलाल** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी सीताराम मीणा कानिस्टेबल पुलिस थाना रामगंज आयुक्तालय जयपुर (उत्तर) को 7500/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी सीताराम कानिस्टेबल बैल्ट न. 10716 से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।